रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 452] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2017/माघ 28, 1938
No. 452] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2017/MAGHA 28, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(सर्वेक्षण और उपयोगिता प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2017

का.आ. 504(अ).—केन्द्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उत्तर-पूर्वी राज्यों से देश के अन्य भागें तक इमारती लकड़ी के संचलन को विनियमित करने के प्रयोजन से टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपद बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12 अप्रैल, 2016 के आदेशों के आलोक में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए विनियामक समिति के रूप में ज्ञात एक समिति का गठन करती है :-

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	अपर वन महानिदेशक (एफसी), पर्यावरण ,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्राल, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	वन महानिरीक्षक (ईएपी), पर्यावरण ,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,नई दिल्ली	सदस्य
3.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक और एचओएफएफ, मणिपुर	सदस्य
4.	उप वन महानिरीक्षक (एसयू), पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य सचिव

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं :-

(i) देश के उत्तर-पूर्वी भाग से देश के अन्य भागों तक अतिरिक्त इमारती लकड़ी के संचलन हेतु माल डिब्बों का आबंटन ।

(ii) उत्तर-पूर्वी राज्यों में इमारती लकड़ी लादने के लिए रेलवे स्टेशनों की संख्या बढ़ाना या कम करना ।

(iii) उत्तर-पूर्वी राज्यों से इमारती लकड़ी के संचलन से संबंधित कोई अन्य मुद्धा ।

3. यह समिति, उत्तर-पूर्वी राज्यों से बाहर इमारती-लकड़ी को देश के अन्य भागों तक भेजने के इरादे वाले राज्य के पीसीसीएफ और एचओएफएफ को कार्यसूची में उनके राज्य से संबंधित मामले होने की स्थिति में, विनियामक समिति की बैठक में भी आमंत्रित कर सकती है ।

4. यह समिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवत्रन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करेंगी ।

[फा. सं. 19-2/2016-एसयू (एनईसी)]

डॉ. रेखा पै, वन महानिरीक्षक

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(SURVEY AND UTILIZATION DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2017

S.O. 504(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes a Committee known as the Regulatory Committee, constituting of the following members in view of the orders of Hon'ble Supreme Court dated the 12th April, 2016 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Versus Union of India and Others for the purpose to regulate the movement of timber from North Eastern States to other parts of the country, namely:-

S. No.	Name	Designation
1	Additional Director General of Forests (FC), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi	Chairman
2	Inspector General of Forests (EAP), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi	Member
3	Principal Chief Conservator of Forests and HoFF, Manipur	Member
4	Deputy Inspector General of Forests (SU), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi	Member Secretary

2. The terms of reference of the Committee are as under:-

(i) Allotment of wagons for movement of surplus timber from North Eastern part of the country to other parts of the country.

(ii) Addition or deletion of railway station for loading of timber in North Eastern States.

(iii) Any other issue related to movement of timber from North Eastern States.

3. The committee may also invite the PCCF & HOFF of the State intending to send the timber outside the North Eastern States to other parts of the country in the regulatory committee meeting, in case there is an agenda pertaining to their State.

4. The Committee shall function under the administrative control of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

[F. No. 19-2/2016-SU (NEC)]

Dr. REKHA PAI, Inspector General of Forests

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.02.20 12:47:49 +05'30'